8 मई, 2023

सेवा में,

श्री जय जीत सिंह

पुलिस आयुक्त (ठाणे)

फोन : 02225344499

ईमेल: cp.thane@mahapolice.gov.in

श्री दत्तात्रेय कराले
संयुक्त पुलिस आयुक्त (ठाणे)
फोन : 02225342163
ईमेल: cp.thane.jtcp@mahapolice.gov.in

श्री दत्तात्रेय शिंदे
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (पूर्वी क्षेत्र)
फोन : 02512230304
ईमेल: cp.thane.addlcp.east@mahapolice.gov.in

श्री सचिन गावड़े,
वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, शील-डायघर पुलिस स्टेशन
फोन : 9029868282
ईमेल: cp.thane.daighar@mahapolice.gov.in

आदरणीय महोदय,

हम, नागरिकों व संगठनों - नेशनल अलायंस फॉर पीपुल्स मूवमेंट्स (एनएपीएम), संजीवनी केंद्र, ठाणे, परचम, मुंब्रा और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के लिए कार्यरत मानवाधिकार अभियान सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी), मुंबई - का समूह मुंब्रा, जिला ठाणे, महाराष्ट्र में सकल हिंदू समाज की तरफ से आयोजित एक हिंदू जनजागरण धर्म सभा के दौरान सांप्रदायिक व नफरत फैलाने वाले भाषणों को लेकर बेहद चिंतित हैं। कार्यक्रम 20 अप्रैल, 2023 को डी. के. दास महाराज ग्राउंड पर डायघर में शाम चार बजे हुआ था।

उक्त कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले कई वक्ताओं को कट्टर, दक्षिणपंथी, संकीर्ण विचारों को फैलाते और नफरत भड़काने वाले भाषण देते देखा सुना गया। इनमें खासकर हमारे देश के मुस्लिम नागरिकों व समुदाय को निशाना बनाया गया था।

कुल पांच वक्ताओं को मुस्लिम-विरोधी भाषण देते सुना गया, जिनके वीडियो "वायरल" हो गये और लाखों लोगों तक पहुंचे। वक्ताओं ने अल्पसंख्यक समुदाय, इसके इतिहास और संस्कृति के बारे में भ्रामक और आपत्तिजनक दावे किये हैं। हम आपका ध्यान इन उकसाने वाले भाषणों की तरफ दिलाना चाहेंगे और आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए क्योंकि यदि ऐसे नफरत फैलाने वाले भाषणों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो हमारे देश की शांति व सद्भावना बुरी तरह प्रभावित होगी। महोदय, हम मुस्लिम समुदाय के लिए असुरक्षित माहौल से भी चिंतित हैं जो योजनाबद्ध तरीके से और नफरती भाषणों व लेखन से देश में बनाया जा रहा है।

महोदय, हमें यकीन है कि आप माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय की तरफ से हाल में की गई कड़ी टिप्पणियों के बारे में जानते होंगे, जहां खासकर महाराष्ट्र में हालिया नफरती भाषणों की श्रंखला पर चर्चा की गई थी और आदेश पारित कर पुलिस व कानूनी अधिकारियों से नफरती भाषण उल्लंघनों के दोषियों पर खुद आगे आकर कदम उठाने को कहा गया था। महोदय, नागरिकों व नागरिक अधिकार समूहों के रूप में हम भाईचारे व सामाजिक शांति बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कानून के तहत पर्याप्त प्रतिरोधक कार्रवाई की जाए। महोदय, हम नफरती भाषणों पर सुप्रीम कोर्ट के 28 अप्रैल और तीन फरवरी व अन्य आदेशों पर निर्भर कर रहे हैं और इस संगठन से जुड़े लोगों के इतिहास व राजनीति तथा सकल हिंदू समाज जिन सांप्रदायिक नजरिये से विभाजनकारी मुददों की वकालत करता है, के बारे में हमें पता है। ऐसे जमावड़ों में जहां असमानतावादी, विभाजनकारी और कलंकित करने वाले शब्द इस्तेमाल किये जाते हैं और भीड़ को उकसाया जाता है, भारतीय संविधान के तहत सभी भारतीय नागरिकों को दिये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, जो भारतीय कानून के प्रावधानों का उल्लंघन है। यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 21 और 25 का उल्लंघन है और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों का भी उल्लंघन है।

<u>हो चुके कार्यक्रमों/अनुमति के साथ हुए कार्यक्रमों पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशः</u>

28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट, ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, अक्तूबर 2022 के आदेश (जो दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखड पुलिस को नफरती भाषणों के तहत स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करने के संबंध में था) को सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने का आदेश दिया। सो, अब सभी प्रदेशों/केंद्र शासित प्रदेशों को नफरती भाषणों के खिलाफ बिना औपचारिक शिकायत के खुद संज्ञान लेकर प्राथमिकी दर्ज करनी होगी। न्यायाधीश के एम जोसेफ और न्यायाधीश बी वी नागारत्ना की खंडपीठ ने कहाः

"प्रतिवादी (प्रदेश) सुनिश्चित करेंगे कि तुरंत, जब भी और जहां भी कोई भाषण या गतिविधि होती है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए, 153बी, 295ए, और 506 आदि के तहत अपराध आकर्षित करती है, शिकायत दर्ज हुए बिना, खुद संज्ञान लेते हुए मामले दर्ज होंगे और दोषियों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी। हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऐसी कार्रवाई, भाषण देने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, उसके खिलाफ की जाएगी ताकि प्रस्तावना में परिकल्पित भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र का संरक्षण किया जा सके।"

अपने 21 अक्तूबर, 2022 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को अंतरिम निर्देश दिये थे जिनमें कहा गया थाः

"जब भी और जहां भी कोई भाषण या गतिविधि होती है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए, 153बी, 295ए, और 506 आदि के तहत अपराध आकर्षित करती है, स्वतःस्फूर्त संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करना होगा भले शिकायत न की गई हो और दोषियों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करनी होगी।"

अदालत ने कहा कि आदेश का पालन न करना अदालत की अवमानना माना जाएगाः

"हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस निर्देशानुसार कार्रवाई करने में कोई भी झिझक इस अदालत की अवमानना के रूप में देखी जाएगी और चूकने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।"

<u>सुप्रीम कोर्ट के 21 अक्तूबर, 2022 के आदेश की प्रति परिशिष्ट ए के रूप में नत्थी की जा रही है।</u>

हम इसे भी रेखांकित करना चाहेंगे कि 3 फरवरी, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में 5 फरवरी, 2023 को इसी अतिवादी हिंदुत्व समूह सकल हिंदू समाज की तरफ से होने वाले एक कार्यक्रम के संबंध में निर्देश जारी किये थे। याचिकाकर्ता शाहीन अब्दुला ने कहा था कि 29 जनवरी को मुंबई में हुए "हिंदू जनआक्रोश मोर्चा" कार्यक्रम में जिस तरह मुस्लिम-विरोधी भाषण दिये गये थे, उसी तरह 5 फरवरी की सभा में दिये जाने की आशंका है। सर्वोच्च न्यायालय ने समूचे कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग अदालत की अगली सुनवाई में मांगी थी। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार से इस आशय का वचन भी लिया था कि यदि इस कार्यक्रम के लिए अनुमति दी जाएगी तो "इस शर्त पर कि कोई भी किसी तरह का नफरती भाषण नहीं लेगा और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाला या कानून का उल्लंघन करता कार्य नहीं होगा।"

अदालत ने ऐसे मामलों में प्रतिबंधक कार्रवाई के संदर्भ में भी निर्देश दिये थेः

"हम यह भी निर्देश देते हैं कि अधिकारी, यदि, अनुमति दी जाती है और, यदि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 151 के तहत शक्तियों के इस्तेमाल का मौका आता है, तो यह संबंधित अधिकारियों का कर्तव्य होगा कि दंड संहिता प्रक्रिया की धारा 151 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करें।"

सर्वोच्च न्यायालय ने, इस तरह, एक पुलिस अधिकारी के पूर्व निर्धारित कर्तव्यों को फिर रेखांकित किया जो उन्हें सीआरपीसी की धारा 151 के तहत कार्रवाई के लिए बाध्य करता है यदि नफरती भाषण की आशंका है तो। अदालत ने, 3 फरवरी की पिछली सुनवाई में निराशा भी दर्शाई थी कि पुलिस प्रतिबंधक कार्रवाई नहीं कर रही हे या नफरती भाषणों के मामलों में स्वतःस्फूर्त संज्ञान नहीं ले रही, जैसा कि नफरती भाषणों को लेकर विभिन्न अवसरों पर दाखिल याचिकाओं पर 21 अक्तूबर 2022 में आदेश दिया था।

<u>सुप्रीम कोर्ट के 3 फरवरी, 2023 के आदेश की प्रति यहां परिशिष्ट बी के रूप में नत्थी की जा रही है।</u>

हम माननीय उच्चतम न्यायालय का 28 अप्रैल, 2023 का आदेश जैसे ही अपलोड किया जाता है, आपको भेजेंगे।

अब, नफरती भाषणों की अपमानजनक और भड़काऊ सामग्री की बात करें जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी और भारतीय कानूनों का भी उल्लंघन करती है (भारतीय दंड संहिता से दंडनीय प्रावधान निम्नलिखित हैं)।
कार्यक्रम का पोस्टर नीचे देखा जा सकता हैः

साध्वी सरस्वती, भारतानंद सरस्वती महाराज और मुनि निलेश चंद्र महाराज अन्य दो अज्ञात नागरिकों समेत उक्त कार्यक्रम में वक्ता थे। जैसा कि उक्त पोस्टर से जाहिर होता है, इस कार्यक्रम के आयोजन का एजेंडा विभाजनकारी दक्षिणंपथी विचारधारा फैलाना और लोगों को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काना था और उक्त उद्देश्य पूरा किया गया जो नफरत से भरे भड़काऊ भाषणों, हिंसा का आह्वान करने से पता चलता है। यह संगठन के हाल के ट्रैक रिकॉर्ड और जिन "सिद्धांतों" की वह बात करते हैं, उसी कड़ी में था।

दिये गये भाषणों के अंशः

साध्वी सरस्वती ने श्रोताओं को हथियार उठाने को कहा। उन्होंने कहा, "***धर्म के नाम पर, यदि आपको किसीको मारना पड़े या मरना पड़े, तो पीछे न हटें। 1000 रुपये की तलवार खरीदें और अपने घर में रखें, यदि, कोई जो दूसरे धर्म का है या विधर्मी है, आपकी तरफ देखने की हिम्मत भी करे तो।***"

वह आगे कहती हैं, "***आप दो साल बाद भी कार खरीद सकते हैं। पर किसी विधर्मी को अपने पुरखों की जमीन खरीदने न दें, ताकि वह भूमि जिहाद न कर सकें। आप किसी भी विधर्मी को अपने धर्म में दखलंदाजी न करने दें।***"

इसके अलावा, उनके भाषण में, वह एआईएमआईएम के अध्यक्ष व हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी को "गीधड़" कहती हैं। वह अपने दर्शकों को मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए उकसाती हैं और कहती हैं, "***वह कहते हैं कि अब्दुल मेरा भाई आज ईद का त्यौहार मना रहा है और मुझे उसके घर जाकर सेवइयां खानी चाहिएं अन्यथा अब्दुल मुझसे नाराज़ होगा। मैं इन लोगों से कहना चाहती हूं कि अब्दुल से कहें कि वह आकर राम नवमी, हनुमान जयंती उनके साथ मनाये, अब्दुल अपने बच्चे को भगवा कपड़ों, माथे पर तिलक के साथ राम के रूप में तैयार करके लाए। वह अब्दुल से भगवा झंडा लगाने, भारत माता की जय, वंदे मातरम कहने को कहें।***"

अगले वक्ता भारतानंद सरस्वती महाराज थे, जिन्होंने मुस्लिमों को निशाना बनाया और उन पर कोविड फैलाने का आरोप लगाया।

"***अब तक, हमारे मोदीजी केंद्र में प्रधान मंत्री के रूप में हैं। लेकिन एक बार योगीजी आ गये, आपको गूगल पर खोजने पर मुगल भी नहीं मिलेगा। मैं अपनी हिंदू बहनों को चेतावनी देना चाहूंगा कि वह अपने पर्स में अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखें। गौ रक्षा के लिए, महिला रक्षा के लिए, देश रक्षा के लिए और हमारे धर्म की रक्षा के लिए, इन उद्देश्यों के लिए हथियार रखना अपराध नहीं है। अपने पास हथियार रखें।***"

"***हम अतीत में जो कारसेवा कर चुके हैं, दोहराएंगे। हम, अपने संतों के साथ और हिंदू भाइयों के साथ जाएंगे और इस पवित्र जमीन को मुक्त कराएंगे जो हमारी है।***"

"***यह लोग राम के साथ नाता नहीं जोड़ेंगे, बल्कि बाबर के होंगे, यह बाबर और औरंगजेब की नाजायज औलाद हैं। अगर आप इस तरह शांत और चुप रहेंगे तो हम अपने धर्म और देश की रक्षा कैसे करेंगे।***"

तीसरे वक्ता मुनि निलेश चंद्र महाराज थे, जिन्होंने कहा, "***अगर गोडसे ने महात्मा गांधी को छाती में गोली नहीं मारी होती, हिंदू मक्का और मदीना में नमाज़ पढ़ रहे होते थे।***"

उन्होंने यह भी कहा, "***यदि हम उनकी तरह कट्टरवादी नहीं बने, तो आने वाले समय में, हमें कहा जाएगा कि या तो हम हमारा धर्म छोड़ दें और इस्लाम अपना लें या हमारे सिर शरीर से जुदा कर दिये जाएंगे।***"

यूट्यूब पर इस समय मौजूद वीडियो का लिंक

https://www.youtube.com/watch?v=cq0A_4T_a3k&t=569s

(हमारे पास वीडियो की डाउनलोड प्रति भी है जो आवश्यकता हो तो हम आपको भेजेंगे।)

वीडियो की डाउनलोड की प्रति आपको हम पेन ड्राइव/सीडी पर दे रहे हैं।

पांच वक्ताओं के भाषणों का लिप्यांतर आपत्तिजनक सामग्री के टाइम स्टांप के साथ शिकायत में परिशिष्ट डी के रूप में नत्थी है।

समूचे भाषण में, वक्ताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और स्पष्ट रूप से हिंदुओं को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ उनका इतिहास और कुछ विवादास्पद मामले सामने लाकर भड़काया है और मुस्लिम समुदाय के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां भी की हैं। अपने अतिवादी साथियों की तर्ज पर "लव जिहाद एजेंडा" में मिर्चमसाला लगाते हुए हिंदु महिलाओं के खतरे में होने का मुद्दा उछाला है। सांप्रदायिक उद्देश्य से नफरत की ऐसी अभिव्यक्ति एक समुदाय पर धार्मिक धौंस जमाने के लिए जो पहले से अल्पसंख्यक है, निंदनीय है और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है जिनका इस देश के नागरिक सम्मान करते हैं।

यह स्पष्ट है कि अब तक के सुनियोजित नफरती भाषणों और वास्तविक घृणा अपराधों के कई उदाहरणों को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत के विभिन्न हिस्सों में अल्पसंख्यक समुदाय खुद को असुरक्षित और खतरे में महसूस करता है। अलावा इसके यह एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोला गया और यह भाषण न सिर्फ कार्यक्रम में शामिल हुए दर्शकों तक पहुंचे हैं बल्कि उन सभी लोगों तक पहुंचे हैं जिन्होंने यह वीडियो अपने मोबाईल फोन पर सोशल मीडिया के जरिये देखे होंगे। सोशल मीडिया की पहुंच कितनी बड़ी और व्यापक हो सकती है, हमें यकीन है कि आपको पता ही होगा। ऐसे भड़काऊ भाषणों के नतीजे भयानक हो सकते हैं।

नफरती भाषण के लिए दंडनीय निहितार्थ

ऐसे बयान माहौल बिगाड़ने, सांप्रदायिक दुर्भावना फैलाने, विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थकों के बीच शत्रुता व नफरत फैलाने का काम कर सकते हैं। ऐसे कथन विभिन्न समूहों के बीच सद्भावना के माहौल को प्रभावित कर सकने वाली गतिविधि होते हैं और सार्वजनिक अमन को बिगाड़ सकते हैं। इसके साथ ही, ऐसी खुली धमकियां और नफरत से भरे भाषण लक्षित समूह को हिंसक घटनाओं का शिकार होने की आशंकाओं को बल देते हैं। ऐसे नफरती भाषण जो गैरकानूनी और असंवैधानिक हैं, कानून के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन करते हैंः

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि वक्ताओं के खिलाफ आईपीसी के निम्नलिखित प्रावधानों के तहत कार्रवाई करें :

153ए - विभिन्न समूहों के बीच धर्म, नस्ल, जन्मस्थान, आवास, भाषा आदि के आधार पर वैमन्स्य फैलाना और भाईचारे का माहौल प्रभावित करने वाले कार्य करना

153बी - राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले आरोप, दावे करना

268 - सार्वजनिक गड़बड़ी फैलाना

503 - आपराधिक धमकी देना

504 - शांति भंग के उद्देश्य से जानबूझकर अपमान करना

505 - सार्वजनिक शरारत को मदद पहुंचाने वाले बयान देना और ऐसे बयान देना जो वर्गों के बीच वैमन्स्य, नफरत फैला सकते हों

भड़काऊ नफरती भाषणों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशः

हमें यकीन है कि पुलिस को पता है कि समय-समय पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने सामाजिक दुर्भावना, घृणा अपराधों और सांप्रदायिक हिंसा के प्रभावी निवारण के लिए कई निर्देश दिये हैं। इनमें उन उपायों के बारे में बताया गया है जो उठाये जा सकते हैं यदि वक्ता ऐसे हैं जो पहले भी कई मौकों पर ऐसे भाषण दे चुके हैं या संगठन ऐसे हैं जिनका नफरती भाषणों के संबंध में कानून के उल्लंघन का पहले भी रिकॉर्ड रहा है।

इन निर्देशों में निम्नलिखित शामिल हैंः

मोहम्मद हारून और अन्य बनाम केंद्र (2014) 5 एससीसी 252 और अन्य, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रदेश के किसी भी हिस्से में सांप्रदायिक हिंसा के दोहराव को रोकना प्रदेश प्रशासन की जिम्मेवारी है प्रदेश व देश की खुफिया एजेंसियों की सहायता से। यदि कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिम्मेवार कोई भी अधिकारी कोताही बरतता पाया जाता है, तो उसे कानून के दायरे में लाना होगा।

फिरोज इकबाल खान बनाम केंद्र (रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक 2020/956) में सुप्रीम कोर्ट ने कहाः

"...लोकतांत्रिक समाज का ढांचा संवैधानिक अधिकारों, मूल्यों और कर्तव्यों के शासन के तहत कानून के राज के प्रति कटिबद्ध है और समुदायों के सहअस्तित्व पर टिका है। भारत विभिन्न सभ्यताओं, संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं का देश है। किसी धार्मिक समुदाय को बदनाम करने के प्रचास को संवैधानिक मूल्यों की संरक्षक इस अदालत की तरफ से गंभीर अनादर के रूप में देखा जाना चाहिए।"

तहसीन पूनावाला बनाम केंद्र और अन्य (2018) 9 एससीसी 501 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रदेशों की जिम्मेवारी है कि किसी भी अप्रिय घटना और अपराध को रोका जाए। अदालत ने पुलिस को निवारक उपाय अपनाने के ठोस निर्देश दिये जिनमें एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, पुलिस अधीक्षक के रैंक से कम नहीं, हर जिले में नोडल अधिकारी के रूप में काम करेगा। ऐसे नोडल अधिकारियों को निर्देश दिये गये थे कि वह एक विशेष कार्यबल गठित करें जो ऐसे लोगों के बारे में खुफिया रिपोर्ट प्राप्त करें जो भीड़ हत्या और ऐसे अपराध कर सकते हैं, भीड़ हिंसा व लिंचिंग जैसे, या जो नफरती भाषण, भड़काऊ बयान और फेक न्यूज फैलाने में संलिप्त हैं।

इसके अलावा नोडल अधिकारी को, थाना प्रभारियों के साथ मिलकर, भीड़ हिंसा और लिंचिंग को बढ़ावा देने वाली प्रवृत्तियों को उकसाने के उद्देश्य से विभिन्न सोशल मीडिया मंचों या अन्य जरियों से आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार की घटनाओं को रोकने के निर्देश हैं।

अदालत ने आगे कहा,

17. इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि अधिकारी जिन पर प्रदेशों में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी है का प्रधान कर्तव्य है कि देखें कि गौ अतिसतर्कता (काऊ विजिलांटिज्म) या किसी अन्य तरह की अतिसतर्कता न हो। जब कोई भी समूह किसी विचार को लेकर कानून को अपने हाथ में लेता है तो वह अराजकता, अव्यवस्था, गड़बड़ी को बढ़ावा देता है और अंततः उससे हिंसक समाज उभरता है। विजिलांटिज्म को किसी भी रूप में उभरने नहीं देना चाहिए क्योंकि यह एक पूरी तरह से विकृत अवधारणा है... किसी को भी इस अधिकार क्षेत्र में प्रवेश का अधिकार नहीं है और

यह भावना पालने का अधिकार नहीं है कि वही कानून है और वही दंड देने वाला। एक देश जहां कानून का राज है, ऐसी किसी सोच की अनुमति नहीं दे सकता। यह, वास्तव में, ऐसी सोच के त्वरित बहिष्कार की मांग करता है।

20. असहिष्णुता, विचारधारा के प्रभुत्व और पूर्वाग्रह के उत्पाद घृणा अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इनके आतंक का राज में परिणित होने देना तो दूर की बात है। न्यायेतर और गैरसरकारी तत्वों को कानून व कानून पालन करने वाली एजेंसी की जगह नहीं लेने दी जा सकती। बहुलतावाद व विविधिता की स्वीकार्यता के बिना कट्टर नजरिये से गढ़ी पहचान की परिणिति भड़काऊ भावनाओं में होती है और यह ऐसा प्रतिक्रियावादी प्रतिकारात्मक रवैया दर्शाती है जो इंसानों के अमानवीकरण में बदल जाता है। यह ऐसा माहौल है जिसमें तार्किक बहस, चर्चा और कानून का प्रशासन बच निकलता है जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत विभिन्न स्वतंत्रताओं को खतरा हो जाता है। एक व्यक्ति की वैचारिक, क्रियात्मक, अभिव्यक्ति, विश्वास, विवेक और निजी पसंदों की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति से बर्दाश्त नहीं होती और यह गतिविधियों व स्थितियों के वस्तुनिष्ठ आकलन के अभाव में होता है।"

अमीश देवगन बनाम केंद्र 2021 1 एससीसी 1 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेंजामिन फ्रेंकलिन को उद्धृत किया, "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाएं बनाना कानून में मुश्किल है, सीमा जिसके बाद सही गलत हो जाएगा और अन्य लोकतांत्रिक मूल्यों व सार्वजनिक कानूनी मान्यताओं के विपरीत हो जाएगा व अपराध बन जाएगा। मुश्किल वैध प्रतिकारी सार्वजनिक कर्तव्य की शिनाख्त करने में होती है और अनुपात और उस सीमा की तर्कसंगतता में जो लिखित या बोले गये शब्दों को आपराधिक बनाती है। इसके अलावा भाषण का अपराधीकरण अक्सर राष्ट्र के अतीत और हालिया महत्वपूर्ण घटनाओं, उनके कारणों की व्याख्या से भी निर्धारित और निरुपति होता है। इसलिए, 'नफरती भाषण' का संवैधानिक और कानूनी उपचार किन मूल्यों को बढ़ावा दिया जाता है, उसमें संभावित नुकसान और उन नुकसानों के महत्व पर निर्भर करता है। इसलिए 'नफरती भाषण' की एक सर्वमान्य परिभाषा मुश्किल है, सिवाय एक समानता कि "हिंसा को उकसाना दंडनीय है।"

26 फरवरी को, नवी मुंबई पुलिस आयुक्त मिलिंद भारंबे ने सकल हिंदू समाज की तरफ से नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित कार्यक्रम की सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार वीडियो रिकॉर्डिंग कराई। कार्यक्रम में दिये भाषणों की सामग्री की अब जांच की जा रही है कि क्या उन्हें नफरती भाषण करार दिया जा सकता है। कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने का निर्णय महात्मा गांधी फाऊंडेशन के अध्यक्ष तुषार गांधी के नवी मुंबई पुलिस को निवारक उपाय की मांग करते हुए लिखे पत्र के बाद किया गया।

इसके अलावा पिछले कुछ महीनों में महाराष्ट्र पुलिस ने कुछ जिलों में कुछ प्राथमिकियां भी दर्ज की हैं हालांकि गिरफ्तारियों के कोई रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं किये गये। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. तेलंगाना से भाजपा विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ प्राथमिकियां:

दादर पुलिस थाने की तरफ से 27 मार्च 2023 को आईपीसी की धारा 153ए के तहत दर्ज प्राथमिकी। जो सिंह की तरफ से 29 जनवरी को मुंबई, महाराष्ट्र में दिये भाषण को लेकर थी।

20 मार्च 2023 को क्रांति चौक पुलिस थाने की तरफ से आईपीसी की धार 153ए के तहत दर्ज प्राथमिकी, सिंह के औरंगाबाद, महाराष्ट्र में 19 मार्च को दिये भाषण को लेकर

अहमदनगर जिला पुलिस की तरफ से आईपीसी धारा 295ए 504 और 506 के तहत 15 मार्च 2023 को दर्ज प्राथमिकी जो सिंह की तरफ से श्रीरामपुर, महाराष्ट्र में दिये भाषण को लेकर थी।

शिवाजी नगर पुलिस थाने की तरफ से 27 फरवरी 2023 को आईपीसी धारा 153ए और 153बी, 205 और 505 के तहत दर्ज प्राथमिकी जो सिंह की तरफ से लातूर, महाराष्ट्र में दिये भाषण को लेकर थी।

2. काजल हिंदुस्तानी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियां

मीरा रोड पुलिस थाने की तरफ से आईपीसी धारा 153ए, और 505 के तहत 24 अप्रैल 2023 को दर्ज प्राथमिकी जो हिंदुस्तानी की तरफ से मीरा रोड, मुंबई, महाराष्ट्र में 12 मार्च को दिये भाषण को लेकर थी।

वाशी पुलिस थाने की तरफ से आईपीसी धारा 153ए, 153बी, 295ए, 505 के तहत 24 अप्रैल को दर्ज प्राथमिकी जो हिंदुस्तानी के मीरा रोड, मुंबई, महाराष्ट्र में 26 फवरी को दिये भाषण को लेकर थी।

3. कालीचरण महाराज के खिलाफ प्राथमिकी

बारामती शहर पुलिस स्टेशन की तरफ से आईपीसी धारा 153ए और 505(2) के तहत 28 अप्रैल 2023 को दर्ज प्राथमिकी जो कालीचरण के पुणे, महाराष्ट्र में 9 फरवरी को दिये भाषण को लेकर थी।

उक्त कार्यक्रम में वक्ताओं के भड़काऊ व उकसाने वाले बयानों से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि इन पर भारतीय कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। कानून और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का तकाजा है कि ऐसे भाषणों, जहां हमारे देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा हो और ऐसी भावनाएं भड़काई जा रही हों जिनसे सामाजिक शांति का माहौल बिगड़ने व हिंसा की आशंका हो, वंचित वर्गों को नुकसान पहुंचने की आशंका हो, के मामले में पुलिस को उचित व त्वरित कार्रवाई करनी है।

सकल हिंदू समाज आक्रोश व भय की भावनाएं भड़का रहा है। यह देखते हुए, पुलिस वक्ताओं के खिलाफ उक्त बताये प्रावधानों के अतिरिक्त आईपीसी के अन्य धाराएं या किसी अन्य संबंधित कानून के प्रावधान भी लगा सकती है जो वह सही व आवश्यक समझें। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि दिये वीडियो का संज्ञान लें, मामला दर्ज करें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें व उन्हें संज्ञेय अपराधों को लेकर गिरफ्तार करें।

महोदय, यदि जनता को होने वाली कार्रवाइयों की जानकारी मिलेगी, तो यह कानूनी राज में लोगों का विश्वास बढ़ेगा और पुलिस-नागरिक रिश्ते मजबूत होंगे।

समुचित व त्वरित कार्रवाई की प्रतीक्षा में

भवदीय,

Dr. Sanjay Mangala Gopal	National Alliance of Peoples' Movements (NAPM)
Jagdish Khairalia	Shramik Janata Sangh
Vandana Shinde	Andhashraddha Nirmulan Samiti
Nuruddin Naik	Businessman, Mumbra

Augustine Crasto (Sanjeevan Kendra c/o Federation of Community Centres & Centre for Peace Trust Mumbai)

Madina bi Maqbool	Football Coach, Mumbra
Muskan bi Shaikh	Football Coach, Mumbra
Raj Asrondkar	Kayadyane Waga Lokchalval

Bishop Allwyn D'silva (Sanjeevan Kendra c/o Federation of Community Centres & Centre for Peace Trust Mumbai)

Annie Fernandes (Sanjeevan Kendra c/o Federation of Community Centres & Centre for Peace Trust Mumbai)

Savita Jadav (Sanjeevan Kendra c/o Federation of Community Centres & Centre for Peace Trust Mumbai)

Catherine Lewis (Sanjeevan Kendra c/o Federation of Community Centres & Centre for Peace Trust Mumbai)

John Dsa (Sanjeevan Kendra c/o Federation of Community Centres & Centre for Peace Trust Mumbai)

Preeti Rodricks (Sanjeevan Kendra c/o Federation of Community Centres & Centre for Peace Trust Mumbai)

Maria Rani (Sanjeevan Kendra c/o Federation of Community Centres & Centre for Peace Trust Mumbai)

Sabah Khan	Minority & Women's Rights Activist, Mumbra
Teesta Setalvad	Secretary, Citizens for Justice and Peace

List of Annexures:

Annexure A: A copy of the Supreme Court order dated October 21, 2022
Annexure B: A copy of the Supreme Court order dated February 3, 2023
Annexure C:
GTC events live (Youtube Channel)
सकल हिंदू समाज आयोजित हिंदू जनजागरण धर्मसभा - डायघर (ठाणे)
https://www.youtube.com/watch?v=cq0A_4T_a3k&t=569s

Annexure D: Transcript of the speeches made by the speakers at the said event